भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*125
सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

श्रम बाज़ार

*125. श्री पिनाकी मिश्राः

क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में वार्षिक आधार पर लगभग 12 मिलियन लोग श्रम बाज़ार में प्रवेश करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या रोज़गार के इच्छुक लोगों तथा सृजित रोज़गारों के मध्य तालमेल न होने की वजह से देश में विद्युत तथा अवसंरचना जैसे मुख्य क्षेत्रों का धीमा निष्पादन है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा रोजगार के इच्छुक लोगों तथा सृज़ित रोज़गारों के मध्य व्याप्त अंतर को समाप्त करने हेतु विद्युत और अवसंरचना जैसे मुख्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

श्रम बाज़ार के बारे में श्री पिनाकी मिश्रा द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *125 के भाग (क) से (घ) के लिए दिनांक 01.07.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क से घ): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अब, एनएसएसओ वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) करने लगा है, जो 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था। देश में 2009-10, 2011-12 एवं 2017-18 के दौरान 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात नीचे दिया गया है:

श्रम बल भागीदारी दर (%में)			
वर्ष	पुरुष	महिला	व्यक्ति
2017-18* (पीएलएफएस)	75.8	23.3	49.8
2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)	79.8	31.2	55.9
2009-10 (एनएसएस 66वां दौर)	80.6	32.6	57.1

(टिप्पणी: *तुलना हेतु, एनएसएस सर्वेक्षणों के पूर्व के दौरों के साथ पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)

नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

सृजित रोजगार				
योजनाएं/वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (लाख में)	3.23	4.08	3.87	5.87 (31-03-2019 तक)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (करोड़ में)	235.14	235.64	233.74	267.9 (मई, 2019 तक)
डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित अभ्यर्थी (लाख में)	1.09	1.48	0.76	1.36 (मई, 2019 तक)
डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियोजन (लाख में)	0.34	1.52	1.15	1.63 (18-06-2019 तक)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सामान्य रूप से सड़क परिवहन एवं राजमर्गों के विकास तथा विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान, केंद्रीय सड़क क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः 9829 कि.मी. एवं 10855 कि.मी. (मई, 2019 तक) थे। परिधीय एक्सप्रेस वे की दो परियोजनाएं-पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस वे (ईपीई) तथा पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे (डब्ल्यूपीई) इस वर्ष पूर्ण हो गई। इस परियोजना ने लगभग 50 लाख मानव-दिवसों के रोजगार अवसरों का सृजन किया है। इलाहाबाद में फाफामाऊ में गंगा के ऊपर सेतु के निर्माण हेतु परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इससे तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा निर्माण के दौरान लगभग 9.20 लाख मानव-दिवसों हेतु प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल-विद्युत क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उपायों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इनमें गैर-सौर नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) के अंग के रूप में विशाल जल-विद्युत परियोजनाओं (एचपीओ) की घोषणा करना शामिल हैं। चूंकि, अधिकांश जल-विद्युत संभाव्यता हिमालय एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र की उच्चतर सीमा में स्थित हैं, इसलिए विद्युत-क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कराकर क्षेत्र का समग्र समाजार्थिक विकास होगा। यह परिवहन, पर्यटन तथा लघु पैमाने के अन्य व्यापार में अप्रत्यक्ष रोजगार/उद्यमी अवसरों को भी प्रदान करेगा।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार तक पहुंच हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 31.05.2019 तक, योजना ने 1,51,579 प्रतिष्ठानों तथा 1.21 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, योजना के तहत 18.26 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

स्टार्ट अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक हो।

*****